न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, मऊ

उपस्थित : बाकर शमीम रिज़वी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड़ नं. UP6398

UPMA010030022018

सत्र परीक्षण संख्याः– 193/2018

******

राज्य

बनाम

1. बृजेश सिंह पुत्र स्व० कमला सिंह,
सा० खरगजेपुर, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।
2. छोटे लाल पुत्र सर्वजीत यादव,
सा० सोनाईच, थाना कोपागंज, जनपद मऊ।

अन्तर्गत धारा–255, 272, 273, 420 भा०दं०सं०
धारा 103 ट्रेड मार्क अधिनियम व 60/63 आबकारी अधिनियम
मुकदमा अपराध सं०–1260/2015
थाना– सरायलखंसी, जनपद मऊ

निर्णय

(1) प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण **बृजेश सिंह एवं छोटे लाल** का विचारण उनके विरूद्ध थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1260/2015, अन्तर्गत धारा 255, 272, 273, 420 भा०दं०सं०, धारा 103 ट्रेडमार्क अधिनियम व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर किया गया है।

(2) अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–1** के अनुसार दिनांक 06.11.2015 को वादी मुकदमा/SHO अरुण कुमार राय मय हमराह का० संदीप भारती का० मासूक सिद्दीकी मय वाहन सरकारी UP 54 G 0180 का0 चालक भरत सिंह के रेलवे क्रासिंग पिपरीडीह के पास मामूर थे कि उ०नि० श्री रामसजन नागर व HC होतीलाल थोड़ी देर में पहुँचे। हम सभी लोग आपस में अपराध व अपराधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक गोरखपुर के रजिस्ट्रेशन नं. की गाड़ी बोलेरो से अवैध शराब लेकर कुछ लोग आने वाले हैं जो खरगजेपुर में ग्राम प्रधानी के चुनाव में बांटेंगे कि इस सूचना पर मै SHO हमराहीयान के तथा मुखबिर को साथ लेकर तत्काल वनदेवी के पश्चिम नव निर्मित पुलिया के पास नाकाबन्दी किये कि 10 से 15 मिनट बाद एक बोलेरो गाड़ी आती दिखाई पड़ी कुछ दूर आने पर मुखबिर द्वारा

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.06.20 12:37:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पहचान कराकर हट बढ़ गया कि नजदीक आने पर गाड़ी बोलेरो नं. UP 53 AF 6409 बरंग सिल्वर को बहिकमत अमली रोक लिया गया। चालक का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम छोटेलाल पुत्र सर्वजीत यादव नि० सोनराइच थाना कोपागंज मऊ तथा चालक के बाँये सीट पर बैठा व्यक्ति अपना नाम बृजेश सिंह पुत्र स्व० कमला सिंह नि० खरगजेपुर थाना सरायलखन्सी मऊ गाड़ी में नियमानुसार तलाशी की गयी तो उसमें कागज के कार्टून में कुल 09 पेटी बीच वाली सीट के नीचे तथा सीट पर बरामद हुआ जिसे बारी–बारी बोलकर देखा गया तो एक पेंटी में 180 ml की अड़तालिस पौवा यानि 948432 शीशी बरामद हुआ, प्रत्येक शीशी के उपर कागज का लेवेल जिस पर अंग्रेजी में GINNIES FINE WHISKY 180 ML FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY व अन्य विवरण अंग्रेजी में अंकित है जिसके सम्बन्ध में परिवहन व कब्जा में रखने का प्रमाण पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा पाये बल्कि गलती की एक स्वर में माफी माँग रहे हैं। गहराई से पूछताछ करने पर बता रहे है कि यह शराब अरुणांचल प्रदेश की न होकर यहीं की बनाई हुई है जिसे हम लोगों को गाजीपुर के एक व्यक्ति लाकर दिया है, घर पर बनाये जाने के कारण इसमें अन्य केमिकल डालकर तेज की जाती है जिससे ज्यादा नशा होता है तथा फर्जी लेबिल लगाकर बेचा जाता है तथा अधिक आमदनी की जाती है, साहब गलती हो गयी माफ कर दिया जाय। अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272, 273, 420, 255 भा.दं.सं. व 103 ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण बताकर समय 08.30 बजे हिरासत पुलिस व बरामद अवैध अपमिश्रित शराब को कब्जा पुलिस में लिया गया। सभी पेटियों में से नमूना हेतु एक–एक शीशी में निकालकर अलग से कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मुहर कर नमूना मोहर अलग से तैयार किया गया। दौरान गिरफ्तारी आने जाने वाले राहगीर इकट्ठा हो गये है जिन्हे गवाही के लिये कहने पर बिना नाम पता बताये हट–बढ गये फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्वसम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे हैं। मेमो गिरफ्तारी तैयार किया गया मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग का पालन किया गया जरिये उचित माध्यम परिवारीजन को सूचना दिया जा रहा है फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को दी जा रही है

(3) फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर तत्कालीन का० मुहर्रिर ने दिनांक 06.11.2015 समय 10.30 बजे इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272, 273, 420, 255 भा.दं.सं. व 103 ट्रेड मार्क अधिनियम चिक के रूप में पंजीकृत किया तथा इस मुकदमे के कायमी की प्रविष्टि को रोजनामचा पर जी०डी० में अंकित किया। अन्वेषण का भार विवेचक को सुपुर्द किया

गया। अन्वेषण की समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण बृजेश सिंह एवं छोटे लाल के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(4) तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा आरोप–पत्र पर संज्ञान दिनांक 01.08.2016 को लिया गया तथा मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण नियमानुसार दिनांक 30.06.2018 को सत्र सुपुर्द किया गया।

(5) अभियुक्तगण को तलब किया गया। तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, मऊ द्वारा दिनांक 24.08.2018 को अभियुक्तगण बृजेश सिंह एवं छोटे लाल के विरुद्ध धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272, 273, 420, 255 भा.दं.सं. व 103 ट्रेड मार्क अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

(6) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **साक्षी सं० 1 अरूण कुमार राय** ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 19.12.2022 को सशपथ साक्ष्य दिया है कि दिनांक 06.11.2015 को मैं बतौर एस.एच.ओ. थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ में तैनात था। उसी दिन मय हरमाही आरक्षी संदीप भारती, आरक्षी मासूख सिदद्दीक मय सरकारी जीप व वाहन चालक के साथ रेलवे क्रांसिंग पीपरीडीह के पास पहुंचा। वहां उपनिरीक्षक राम सजन नागर व आरक्षी छोटी लाल भी थोड़ी देर में पहुंच गये। आपस में बातचीत के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक गोरखपुर के रजिस्ट्रेशन नम्बर की गाड़ी बोलेरो से कुछ लोग अवैध शराब लेकर आने वाले हैं, जो ग्राम खरगजेपुर में प्रधानी के चुनाव में बाटेंगे। सूचना पर हम सभी मुखबिर के साथ वनदेवी के पश्चिम नवनिर्मित पुलिया के पास नाका बन्दी किये और 10–15 मिनट बाद एक बोलेरों गाड़ी को आता देख मुखबिर पहचान कराकर हट गया। नजदीक आने पर बोलेरो नम्बर यू.पी. 52 ए.एफ. 6409 सिल्वर रंग की, को रोक लिया गया। नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम छोटे लाल पुत्र सर्वजीत यादव व चालक के बायें सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बृजेश सिंह पुत्र स्व० कमला सिंह बताया। गाड़ी की तलाशी में उसमें कागज के कार्टून में कुल नौ पेटी बीच वाली सीट के नीचे व सीट पर बराबर खोलकर देखने पर एक पेटी में 180 एम.एल. की 48 पाउवा (शीशी) 9 x 48 अर्थात 432 शीशी बरामद हुई। प्रत्येक शीशी के ऊपर कागज का लेबल जिस पर अंग्रेजी में GINNIES FINE WHISKY 180 ml for sale in Arunachal Pradesh Only व अन्य विवरण अंग्रेजी में अंकित था। परिवहन व कब्जा में रखने का प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाये बल्कि गलती की एक स्वर में माफी मांगने लगे। गहराई से पूछने पर बताये कि यह शराब अरूणाचल प्रदेश की न होकर यहीं की बनाई हुई

है, जिसे गाजीपुर के एक व्यक्ति ने लाकर दिया है। घर पर बनाये जाने के कारण अन्य केमिकल डालकर तेज किया जाता है, जिससे ज्यादा नशा होता है तथा फर्जी लेबल लगाकर बेचने से अधिक आमदनी की जाती है। गलती हो गयी माफ कर दीजिए। अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272, 273, 420, 255 भा.दं.सं. व 103 ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण बताकर समय 08.30 बजे हिरासत पुलिस व बरामद अवैध अपमिश्रित शराब को कब्जा पुलिस में लिया गया। सभी पेटियों में से नमूना हेतु एक–एक शीशी में निकालकर अलग से कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मुहर कर नमूना मोहर अलग से तैयार किया गया। दौरान गिरफ्तारी आने जाने वाले राहगीर इकट्ठा हो गये है जिन्हे गवाही के लिये कहने पर बिना नाम पता बताये हट–बढ गये फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्वसम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे हैं। मेमो गिरफ्तारी तैयार किया गया मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग का पालन किया गया जरिये उचित माध्यम परिवारीजन को सूचना दिया जा रहा है और फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को दी जा रही है। साक्षी को कागज सं० 5क दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही फर्द मेरे द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर से मौके पर ही तैयार किया गया था, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

(7) अभियोजन पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में मात्र एक साक्षी उपरोक्त को परीक्षित किया है, जो एक पुलिस साक्षी एवं प्रकरण के वादी मुकदमा हैं, जिन्होंने अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किये गये फर्द को साबित किया है। अभियोजन की तरफ से अन्य किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी.डी., नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र के मात्र औपचारिकता को स्वीकार किया है

(8) अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक से इंकार करते हुए घटना गलत होना, रंजिशन गलत तहरीर देना व गलत ढंग से विवेचना कर गलत आरोप–पत्र प्रेषित करना बताया है। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

(9) मैंने अभियोजन पक्ष से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

(10) निमित्त विधि निर्णय **नासिर शेलेन्द्र शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 एस. ए. आर. (क्रिमिनल) 489** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अपराध विधि का मूलभूत सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करना

होता है, जबकि बचाव पक्ष को अपने मामले में सम्भाव्यता मात्र दर्शित करना होता है और जो बचाव लिया जाता है, उसके सम्बंध में अभिलेख पर कुछ तथ्य होने चाहिये, जो अभियोजन साक्षीगण को दिये गये सुझाव के रुप में भी हो सकता है।

(11) विधि निर्णय **दौलत राम बनाम पंजाब राय 1997 (34) ए.सी.सी. पृष्ठ 839** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला अपने साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे सिद्ध करना होगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है।

(12) विधि निर्णय **धनपाल बनाम राज्य 2009 (69) ए.सी.सी. पृष्ठ 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करे तथा यह न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाय। साथ ही किसी प्रकार के अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार उक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में प्रस्तुत मामले पर विचार किया जाना है।

<u>बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

(13) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। मौके पर बरामद अपमिश्रित शराब अभियुक्तगण के कब्जे से फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। जरिये मुखबिर की सूचना पर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद होना कहा है परंतु कोई भी गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी का जन साक्षी नहीं बनाया गया है। घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 8 किलोमीटर होने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दो घण्टे 30 मिनट के विलंब से दर्ज करायी गयी है। मात्र रंजिश के कारण तथा गुडवर्क दिखाने के कारण पुलिस द्वारा झूठा व मनगढंत कहानी के आधार पर फर्द बरामदगी दिखाकर अभियुक्तगण को आरोपी बनाया गया है। अभियोजन द्वारा मात्र एक साक्षी को परीक्षित कराया गया, जोकि एक पुलिस साक्षी है। अभियोजन के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272, 273, 420, 255 भा.दं.सं. व 103 ट्रेड मार्क अधिनियम का अपराध नहीं बनता है, न ही अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराधों से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

(14) अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फर्द बरामदगी व अन्य कार्यवाही के दौरान कुछ समय व्यतीत होना स्वाभाविक है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलंब से दर्ज होने मात्र से

घटना की प्रमाणिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दिनांक 06.11.2015 को बहद स्थान वनदेवी नव–निर्मित पुलिया, वनदेवी कहिनौर, थाना– सरायलखंसी, जनपद– मऊ में थाना–सरायलखंसी की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से 9 पेटी में 180 मिली लीटर की कुल 432 शीशी अपमिश्रित शराब, जिस पर गलत तरीके से अरूणांचल प्रदेश का सरकारी स्टाम्प व लेबल लगाया हुआ बरामद किये गये हैं जिसे अभियोजन साक्षी ने अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित किया है। फर्द बरामदगी के लेखक को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। अतः अभियुक्तगण उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

(15) हस्तगत वाद में अब यह देखा जाना है कि क्या दिनांक 06.11.2015 को बहद स्थान वनदेवी नव–निर्मित पुलिया, वनदेवी कहिनौर, थाना– सरायलखंसी, जनपद मऊ में अभियुक्तगण बृजेश सिंह छोटे लाल के पास से पुलिस द्वारा 9 पेटी में 180 मिली लीटर की कुल 432 शीशी अपमिश्रित शराब, जिस पर गलत तरीके से अरूणांचल प्रदेश का सरकारी स्टाम्प व लेबल लगाया हुआ बरामद किया गया, जिसे रखने का कोई अनुज्ञा पत्र उनके पास नहीं था तथा उक्त सामग्री को उनके द्वारा बेचने का इरादा था अथवा नहीं?

(16) अब पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना समीचीन होगा।

(17) प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य धाराओं के साथ–साथ धारा 272 भा०दं०सं० का आरोप भी विरचित किया गया है।

(18) **प्रस्तुत सत्र परीक्षण, जो मुख्यतः 272 भा.दं.सं से संबन्धित है, इस परिप्रेक्ष्य में** धारा 272 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय के अपमिश्रण को दण्डित करती है। धारा के अधीन हर व प्रत्येक प्रकार का अपमिश्रण दण्डनीय अपराध नहीं है। केवल खाने या पीने की उसी वस्तु का अपमिश्रण इस धारा के अन्तर्गत अपराध है, जिसमें अपमिश्रण इस आशय से किया जाता है कि ऐसी वस्तु की खाद्य या पेय के रूप में बेचे जाने को सम्भाव्यता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत प्रस्तुत धारा 272 केवल मानवीय खाद्य या पेय के बिक्री के लिए आशयित नहीं है। इसके अधीन पशु आदि के लिए बिक्री हेतु आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण भी आता है। यही कारण है कि इस धारा में वाक्यांश "किसी खाने या पीने की वस्तु" का उल्लेख है।

धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता के मुख्य संघटक

(1) यह है कि प्रश्नगत वस्तु एक खाद्य या पेय है।

(2) यह कि इसको अभियुक्तगण ने अपमिश्रित किया था।

(3) यह कि उक्त अपमिश्रण ने इसे खाद्य या पेय के रूप में अपायकर (noxious) बना दिया था।

(4) यह कि अभियुक्तगण ने उक्त वस्तु को इस आशय से अपमिश्रत किया था कि इसे खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाएगा।

(19) अभियोजन द्वारा यह सिद्ध किया जाना अनिवार्य है कि प्रश्नगत वस्तु का अपमिश्रण इस आशय से किया गया था कि इसको खाद्य या पेय के रूप में बेचा जा सके। ***[विधि निर्णय सुलेमान शामजी प्रति एम्परर, ए.आई.आर. 1943 बम्बई 445]***

(20) यह स्थापित करने के लिए कि धारा 272, भा०दं०सं० के अधीन अपराध कारित हुआ है, अभियोजन को यह साबित करना होगा कि– (i) प्रश्नगत पदार्थ खाद्य या ऐसा पेय था, जो जीवित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आशयित था, (ii) यह कि अभियुक्तगण ने इसे अपमिश्रित किया था, (iii) यह कि ऐसे अपमिश्रण ने इसे खाद्य अथवा पेय के रूप में अनुपयुक्त (noxious) बना दिया था, तथा (iv) यह कि अभियुक्तगण ऐसे अपमिश्रण के समय ऐसे खाद्य या पेय को खाने या पीने की वस्तु के रूप में बेचने का आशय रखता था अथवा वह सम्भाव्य जानता था कि ऐसी वस्तु खाने या पीने की वस्तु के रूप में बेची जाएगी।

(21) किसी वस्तु को अपायकर (noxious) बनाने से अभिप्रेत इसे विषैला अथवा हानिकारक अथवा दोनों बनाना है। स्पष्ट है कि इस धारा के अधीन अपराध पूर्ण हो जाता है, जैसे ही अपमिश्रण वाला पदार्थ ऐसे खाद्य या पेय में मिलाया जाता है, बशर्ते कि ऐसा खाद्य या पेय वास्तव में बेचने के लिए है या जिसके बेचे जाने की सम्भाव्यता है।

(22) अपमिश्रण का अपराध मात्र किसी विषैले अर्क या एरक(arrack) के कब्जे से धारा 272 के अधीन कारित हो जाता है। ***[विधि निर्णय जोसफ कुरियन जोसे प्रति केरल राज्य, 1995 क्रि.लॉ. जर्नल 502(एस.सी.)]***

(23) जहां तक उक्त आरोपों को साबित करने का संबंध है, **साबित** शब्द को धारा–3 साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत हैः–

"साबित" – *कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समक्षे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है।*

(24) आपराधिक वादों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के **कृष्णामोची एवं अन्य बनाम स्टेट आफ बिहार 2002 सुप्रीम कोर्ट (क्रि.) पेज 1220** एवं **अम्बिका प्रसाद एवं अन्य बनाम स्टेट आप दिल्ली एडमिन्स्ट्रेशन 2000 एस.सी.सी. (क्रि.) पेज 522** के वादों का परिशीलन किया जाना आवश्यक है जिसमें इस आशय का सिद्धांत प्रतिवादित किया गया है कि जहां न्यायालय का यह कर्तव्य है कि कोई निर्दोष व्यक्ति दण्डित न हो, वहीं

यह भी कर्तव्य है कि कोई दोषी व्यक्ति बिना दण्डित हुए न बच सके, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना समीचीन होगा।

साक्ष्य का मूल्यांकन/विश्लेषण

(25) अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदशुदा अपमिश्रित शराब के 9 पेटी में 180 मिली लीटर की कुल 432 शीशी, जिसका विक्रय करने हेतु उस पर गलत तरीके से अरूणांचल प्रदेश का सरकारी स्टाम्प व लेबल लगाया गया। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा तथाकथित बरामदशुदा माल की बिक्री किसको किया जाना था। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा तथाकथित बरामदशुदा माल बिक्री के इरादे से रखी गयी थी। अभियोजन द्वारा ऐसे किसी साक्षी को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अभियुक्तगण को कथित सामग्री में मिलावट करते या उसकी बिक्री करते हुए देखा हो न ही किसी ग्राहक के संबंध में कोई कथन किया गया है जो अभियुक्तगण से कथित सामग्री क्रय करें। अपमिश्रित शराब के संबंध में फर्द में यह कथन किया गया है कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर तथाकथित घटना स्थल से अभियुक्तगण को बोलेरो गाड़ी सहित पकड़ा तथा उक्त वाहन से 9 पेटी में 180 एम.एल. की कुल 432 शीशी अपमिश्रित शराब बरामद होना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा उक्त बरामद माल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पुनः साक्षी हेतु उपस्थित कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त साक्षी से प्रति परीक्षा भी नहीं की गयी और अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किये जाने का अभिकथन किया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य कोई ऐसे साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है जो मौके पर उपस्थित होकर शराब व अन्य सामग्रियों के अपमिश्रण की पहचान कर सके। कथित शराब की बरामदगी के समय पुलिस टीम में उपस्थित सदस्यों में कोई शराब के अपमिश्रण की पहचान हेतु विशेषज्ञ नहीं था।

(26) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 8 किलोमीटर होने के बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दो घण्टे 30 मिनट विलंब से दाखिल की गयी है। इसके खण्डन में अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फर्द बरामदगी की कार्यवाही में समय व्यतीत होना स्वाभाविक है व प्रथम सूचना रिपोर्ट के मात्र विलंब से पंजीकृत होने के आधार पर संपूर्ण घटना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में फर्द बरामदगी में उल्लिखित कथनों का परिशीलन किया जाना समीचीन होगा। फर्द बरामदगी में मुखबिर खास की सूचना के आधार पर एस.एच.ओ. अरूण कुमार राय मय हमराहीगण द्वारा दिनांक 06.11.2015 को

अभियुक्तगण को वनदेवी नव निर्मित पुलिस, वनदेवी कहिनौर, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ पर दबिश देकर उनके द्वारा उक्त अवैध शराब की बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर पकड़ा जाना बताया गया है।

(27) प्रस्तुत प्रकरण के फर्द बरामदगी व साक्षी पी.डब्लू. 1 अरूण कुमार राय के साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना में की गयी बरामदगी का कोई जन साक्षी उपलब्ध नहीं है। जन साक्षी की उपस्थिति के संबंध में कथन किया गया है कि साक्षी की तलाश किया गया तो साक्षियों ने साक्ष्य देने से इंकार कर दिया और भलाई बुराई की बात करते हुए बिना नाम पता बताये हट–बढ़ गये। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षी के अभाव में समस्त अभियोजन कथानक अपने आप में ही दूषित हो जाती है।

(28) इस निमित्त विधि निर्णय **गोविन्द बाजपेई तथा अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य 2005(2) ए०सी०आर० 1246** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की है कि यदि बरामदगी के समय जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है तो अभियोजन कहानी संदिग्ध मानी जायेगी।

(29) विधि निर्णय **मकरंद सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, निर्णीत 07 जनवरी, 2022 व हिमांचल प्रदेश राज्य बनाम सुख राम 2003 सी.आर.एल.जे 219(एच.पी.)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया किः–

(30) *इस अध्याय के अन्तर्गत तलाशी लेने से पहले, अधिकारी वे व्यक्ति हैं जो ऐसा करने वाले हैं, उन्हें उस इलाके के दो या दो से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाना होगा, जहां तलाशी की जाने वाली जगह अवस्थित है, वे किसी अन्य इलाके के हैं, यदि उक्त इलाके में ऐसा कोई निवासी नहीं है। स्थानीय लोग तलाशी में शामिल होने और गवाह बनने के लिए उपलब्ध हैं या इच्छुक हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें या उनमें से किसी को लिखित में आदेश जारी कर सकते हैं,*

(31) *इसके अभाव में धारा 100(4) दं.प्र.सं. के प्राविधान का परिपालन नही माना जायेगा, मात्र एक पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना विधियुक्त नही है, जैसा कि पाल सिंह बनाम दिल्ली ने 1998 एससीसी आपराधिक 641 में रिपोर्ट किया था।*

(32) इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में मौके पर काफी लोगों का आ जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है परंतु इस मामले में मौके का कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं कराया गया न ही उसका नाम ही अभियोजन प्रपत्रों में शामिल किया गया जिससे अभियोजन कथानक संदेह के घेरे में आ जाता है।

(33) यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के कब्जे से कथित अपमिश्रित शराब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके साबित नहीं कराया गया है। दूसरे शब्दों में इस सत्र परीक्षण से संबन्धित माल मुकदमाती, जिसके आधार पर अभियुक्तगण की दोषिता को संदेह से परे सिद्ध किया जाना हैं, न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत ही नहीं किया गया जैसा कि इस प्रकरण के साक्षी सं० 1 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है। उक्त मुकदमे से संबन्धित समस्त माल मुकदमाती न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(34) इस निमित्त विधि निर्णय **शमशेर सिंह तथा अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2006 सी०आर०एल०जे०(एन०ओ०सी० 12 राज०)** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षण किया है कि अभिकथित फर्द बरामदगी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जाता है तो अभियुक्तगण को कथित आरोप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(35) जहां तक प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध बरामद अपमिश्रित शराब की शीशियों पर अरुणांचल प्रदेश का लेबल लगा हुआ बरामद होना बताया गया। इस संबन्ध में अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है कि अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित तरीके से उक्त शीशियों पर लेबल लगाकर विक्रय किया जा रहा था।

(36) इस प्रकार उपर्युक्त समस्त साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अपराध अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम एवं धारा 255, 272, 273, 420 भा.दं.सं. व धारा 103 ट्रेड मार्क अधिनियम को अभियोजन ने संदेह से परे साबित करने में सर्वथा असफल रहा है।

(37) विधि निर्णय **मथुरा प्रसाद और अन्य प्रति मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1992** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने मे असफल रहता है तो अभियुक्तगण दोषमुक्त का अधिकारी होगा।

(38) अतएवं उपर्युक्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के साक्ष्य मूल्यांकन से अभियुक्तगण **बृजेश सिंह व छोटे लाल** के विरूद्ध लगाये गये कथित अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित न होने के कारण अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम एवं धारा 255, 272, 273, 420 भा.दं.सं. व धारा 103 ट्रेड मार्क अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **बृजेश सिंह व छोटे लाल** को मुकदमा अपराध सं० 1260/2015, अन्तर्गत धारा धारा 60/63 आबकारी अधिनियम एवं धारा 255, 272, 273, 420

भा.दं.सं. व धारा 103 ट्रेड मार्क अधिनियम, थाना–सरायलखंसी, जिला–मऊ के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंध पत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं के प्राविधानों के अनुपालन में मु० 20,000–20,000/–रू(**बीस हजार रूपये**) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के **दो–दो प्रतिभू** इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उन्हें आहूत किया जाता है तो वे वहां उपस्थित होंगे। यह बन्धपत्र इस निर्णय की तिथि से छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

माल मुकदमा (यदि कोई हो) अपील न किये जाने की दशा में, अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निस्तारित किया जाये और यदि अपील की जाती है, तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार माल मुकदमा का निस्तारण किया जाये।

[बाकर शमीम रिजवी]
दिनांक– 20.06.2026 **अपर स़त्र न्यायाधीश**
कोर्ट सं. 1 जनपद–मऊ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

[बाकर शमीम रिजवी]
दिनांक– 20.06.2026 **अपर स़त्र न्यायाधीश**
कोर्ट सं. 1 जनपद–मऊ।